बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, बेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक : नि० प्रा०/नि० 1-23/2014 559 /पटना, दिनांक 24/08/2016

प्रेषक,

फूल सिंह
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी ।

विषय : **सहकारी साख एवं विपणन संरचना से जुड़े बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 के अधीन निबंधित सहकारी समितियों तथा बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अधीन निबंधित स्वाबलम्बी समितियां के निर्वाचन के संबंध में।**

प्रसंग : **बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार का पत्रांक-1083 दिनांक 04.10.2013, 92 दिनांक 05.10.2014, 2470 दिनांक 04.12.2014 पत्रांक-312 दिनांक 01.04.2015 एवं पत्रांक-630 दिनांक 23.06.2015.**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि उक्त पत्रों द्वारा सभी जिला सहकारिता पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया था कि वे वर्ष में दो बार निर्वाचन देय समितियों की सूची, समिति से प्राप्त निर्वाचन व्यय के लिए **मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार** के पक्ष में भुगतेय ₹ 5,000/- (पाँच हजार रुपये) की राशि का **CTS** बैंक ड्राफ्ट उपविधियाँ की प्रति के साथ प्राधिकार को विहित प्रपत्र में निम्नरूप से उपलब्ध करावें :-

क्रम सं०	**निर्वाचन देयता की अवधि**	**प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की तिथि**
(i)	01 जनवरी से 30 जून तक निर्वाचन देय समितियों के संबंध में प्रतिवेदन	अक्टूबर
(ii)	01 जुलाई से 31 दिसम्बर तक निर्वाचन देय समितियों के संबंध में प्रतिवेदन	अप्रील

2. जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त निदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जिला सहकारिता पदाधिकारी वर्ष में दो बार प्रस्ताव भेजने के स्थान पर महीने में दो बार अलग-अलग समितियों के निर्वाचन का प्रस्ताव प्राधिकार को भेज रहे हैं। इससे निर्वाचन से संबद्ध क्षेत्रीय पदाधिकारियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके जिम्मे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेवारी रहती है। कतिपय जिला सहकारिता पदाधिकारी निर्वाचन देय समितियों की सूची तो भेजते हैं किन्तु उसके साथ ₹ 5,000/- (पाँच हजार रुपये) का बैंक ड्राफ्ट संलग्न नहीं करते हैं, जिससे निर्वाचन देय समितियों की सूची भेजने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

3. पूर्व में यह निदेशित किया गया था कि यदि समितियों में मतदाता की संख्या 700 से अधिक रहती है और सविरोध निर्वाचन की स्थिति बनती है तो अतिरिक्त मतदान केन्द्र एवं मतदान दल का गठन करना होता है, जिससे निर्वाचन पर ज्यादा राशि का व्यय होता है। ऐसी स्थिति में प्रति मतदान दल के हिसाब से अतिरिक्त ₹ 5,000/- (पाँच हजार रुपये) की राशि संबंधित समितियों से प्राप्त कर प्राधिकार को उपलब्ध कराया जाय किन्तु इस दिशा में कतिपय जिला सहकारिता पदाधिकारियों द्वारा ही कार्रवाई की गई।

4. यह भी निदेशित किया गया था कि यदि सहकारी/ स्वाबलंबी सहकारी समितियाँ, जो वांछित सूचनाएँ नियमानुसार जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध नहीं कराती हैं, उनके विरूद्ध अधिनियमों के सुसंगत प्रावधानों के तहत् परिसमापन की कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी समितियों के संबंध में प्राधिकार ने पूर्व में भी समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया था एवं पुनः विज्ञापन प्रकाशित कर दिया है। विज्ञापन की प्रति संलग्न है।

5. बिहार सहकारी सोसायटी नियमावली-1959 के नियम-21फ(1) के अनुसार एक सहकारी सोसायटी या सहकारी सोसायटी के वर्ग या वर्गों में निर्वाचन कराने हेतु व्यय की राशि संचालन पदाधिकारी के द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के जरिये निश्चित की जायेगी और उसे सोसायटी के द्वारा अपनी निधि से भुगतान किया जायेगा। उपर्युक्त नियम के निर्वचन से स्पष्ट है कि किसी भी सहकारी समिति के निर्वाचन पर होनेवाले व्यय का वहन संबंधित सोसायटी के निधि से किया जायेगा। उक्त प्रावधान के आलोक में सहकारी साख एवं संरचना से जुड़े सभी प्रकार की सहकारी समितियों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन पर होनेवाले व्यय की राशि संबंधित समिति से ली जायेगी। दूसरे शब्दों में प्राथमिक कृषि साख समिति, व्यापार मण्डल, बुनकर सहयोग समिति, मत्स्यजीवी सहयोग समिति आदि सभी से उनके निर्वाचन व्यय के लिए रू0 5000/- (पाँच हजार) की राशि का बैंक ड्राफ्ट जो मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के पक्ष में भुगतेय होगा, समिति से प्राप्त कर जिला सहकारिता पदाधिकारी निर्वाचन देय समितियों की सूची के साथ उपलब्ध करायेंगे।

6. कृपया उक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं दिनांक 31.12.2016 तक निर्वाचन देय समितियों की सूची एवं रिक्त पदों की सूची, समिति से प्राप्त निर्वाचन व्यय के लिए मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पक्ष में भुगतेय रू0 5000/- (पाँच हजार) की राशि का **CTS** बैंक ड्राफ्ट उपविधियाँ की प्रति के साथ दिनांक 13.09.2016 तक विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(फूल सिंह)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

अनुलग्नकः **यथोक्त।**

BSEA dt. 17.08.2016

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं- : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

अत्यावश्यक सूचना

1. राज्यस्तरीय समीक्षा के दौरान बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम 1996 के तहत निबंधित समितियाँ एवं बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के तहत निबंधित सहकारी समितियों द्वारा ससमय निर्वाचन देयता की तिथि, सदस्यता सूची, उपविधियों की प्रतियाँ एवं आवश्यकतानुसार ड्राफ्ट उपलब्ध नहीं कराए जाने की जानकारी दी गई है। ससमय विवरणी उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण समितियों के प्रबंधकारिणी समिति के अवक्रमण एवं उनमें कार्य बाधित होने के साथ निर्वाचन सम्पन्न कराने में भी समस्याएँ उत्पन्न होती है।

2. पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति में ऐसी सहकारी समितियों को सूचित किया गया था कि वे ससमय वार्षिक विवरणी (रिटर्न), जिसमें निर्वाचन देयता की तिथि की घोषणा आदि सम्मिलित हों, संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय में दाखिल करें अन्यथा उनका निबंधन रद्द करने की अनुशंसा निबंधन प्राधिकार द्वारा की जायगी एवं वैसी समितियों का निर्वाचन प्राधिकार द्वारा नहीं कराया जायेगा।

3. अतः उपर्युक्त समितियों के मुख्य कार्यपालक/सचिव/प्रशासक को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 31.12.2016 तक निर्वाचन देय एवं वर्त्तमान में अवक्रमित समितियों के संबंध में विहित प्रपत्र में अपने जिला के जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय में 15 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय के अंदर सूचनादि उपलब्ध नहीं कराने वाली समितियों के विरुद्ध अधिनियमों के सुसंगत प्रावधानों के तहत जिला सहकारिता पदाधिकारी परिसमापन की कार्रवाई कर सकेंगे।

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

सहकारी साख एवं विपणन संरचना से जुड़े बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 के अधीन निबंधित सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन का प्रपत्र ।

जिला का नाम : ....

प्रतिवेदन की अवधि -प्रथम/द्वितीय अर्द्धवार्षिक *

वर्ष : ....

क्रम सं॰	प्राथमिक सहकारी समितियों के नाम	निबंधन संख्या	प्रखंड का नाम	शीर्ष सहकारी समिति जिससे संबद्ध है	सदस्यों की संख्या	विगत निर्वाचन की तिथि	निर्वाचन की देय तिथि	समिति अवक्रमित है अथवा नहीं?	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

जिला सहकारिता पदाधिकारी
.... ।

नोट- *जो लागू नहीं हैं, उन्हें काट दें।

सहकारी साख एवं विपणन संरचना से जुड़े बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अधीन निबंधित स्वावलम्बी समितियों के निर्वाचन हेतु अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन का प्रपत्र ।

जिला का नाम : ....

प्रतिवेदन की अवधि –प्रथम/द्वितीय अर्द्धवार्षिक *

वर्ष : ....

क्रम सं०	स्वावलम्बी समितियों के नाम	निबंधन संख्या	प्रखंड का नाम	सदस्यों की संख्या	विगत निर्वाचन की तिथि	निर्वाचन की देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

जिला सहकारिता पदाधिकारी

.... ।

नोट- *जो लागू नहीं हैं, उन्हें काट दें।